

श्री ५ को सरकार  
प्रशासन व्यवस्था विभागको  
सूचना

श्री ५ को सरकारले मिति २०३३।२।२६ को निर्णयानुसार देहायका अधिकृतहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको छ ।

| सि. नं. | नाम र थर                           | सेवा               | श्रेणी         |
|---------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| १.      | श्री रत्नबहादुर रघुवंशी            | नेपाल प्रशासन सेवा | रा. प. द्वितीय |
| २.      | श्री विनायकराज पाण्डे              | "                  | "              |
| ३.      | श्री नूरमान सिंह श्रेष्ठ           | "                  | "              |
| ४.      | श्री नानीबाबु भारती                | "                  | "              |
| ५.      | श्री विरश्चिमान प्रधान             | "                  | "              |
| ६.      | श्री नरेन्द्रबहादुर के. सी.        | "                  | "              |
| ७.      | श्री रमेशकुमार श्रेष्ठ (डोटी)      | "                  | रा. प. तृतीय   |
| ८.      | श्री अमृतप्रसाद खाँ                | "                  | "              |
| ९.      | श्री रमेशकुमार श्रेष्ठ (बिराटनगर)  | "                  | "              |
| १०.     | श्री पद्मनाथ शर्मा                 | "                  | "              |
| ११.     | श्री कुमारप्रसाद सापकोटा           | "                  | "              |
| १२.     | श्री मदनप्रसाद शर्मा               | "                  | "              |
| १३.     | श्री महम्मद आलम                    | "                  | "              |
| १४.     | श्री तेज श्रेष्ठ                   | "                  | "              |
| १५.     | श्री माधवप्रसाद खड्गी              | "                  | "              |
| १६.     | श्री ईश्वरप्रसाद वैजु              | "                  | "              |
| १७.     | श्री मोतीलाल श्रेष्ठ               | "                  | "              |
| १८.     | श्री गुणनिधि (नेपाली)<br>रञ्जितकार | विविध सेवा         | द्वितीय श्रेणी |

आज्ञाले—

उपेन्द्रबहादुर अमात्य

श्री ५ को सरकारको उप-सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।